

महत्वपूर्ण

संख्या- 1313/78-2-2022- ई-268634

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
खाद्य एवं रसद, नगर विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा, श्रम एवं सेवायोजन,
परिवहन एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2022

विषय: आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में आम जनमानस को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए सुझाए गये विभिन्न सुधारों हेतु 'ईज ऑफ लिविंग' के अन्तर्गत 'ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम, समयबद्ध एवं मानदण्डों के अनुरूप पंजीयन तथा स्वीकृतियों /सुविधा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी नागरिक सेवाओं के पंजीयन, स्वीकृतियों, प्रमाणपत्रों इत्यादि को ऑनलाइन प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सीईजी) के माध्यम से एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विन्डो पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (<https://edistrict.up.gov.in>) विकसित किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को बी.आर.ए.पी. 2022 में प्रदेश का सिंगल विन्डो पोर्टल निर्धारित किया गया है।

2. वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की कतिपय सेवायें जन सेवा केन्द्रों एवं सीधे इंटरनेट के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही हैं। सीएससी 3.0 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में 1.85 लाख से अधिक जन

सेवा केन्द्र स्थापित करते हुये इनके माध्यम से भी ये सेवायें आमजनमानस को सुगमता एवं सरलता से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3. भारत सरकार द्वारा बी.आर.ए.पी. 2022 फेज-1 अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं का चयन किया गया है, जिनको प्रदेश के सिंगल विन्डो पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से आमजनमानस को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाना है:

क्रमांक	सेवा का विवरण	क्रमांक	सेवा का विवरण
1	नया राशन कार्ड	8	मृत्यु प्रमाण पत्र
2	नया ड्राइविंग लाइसेंस	9	जन्म प्रमाण पत्र
3	विवाह पंजीकरण	10	एल0पी0जी0 कनेक्शन
4	भार मुक्त प्रमाण पत्र	11	पीएमजेएवाई/स्टेट हेल्थ कार्ड
5	सेवायोजन हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण	12	आय प्रमाण पत्र
6	झटपट पोर्टल(नागरिकों हेतु नए विद्युत कनेक्शन)	13	जाति प्रमाण पत्र
7	पेयजल कनेक्शन	14	निवास प्रमाण पत्र

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में प्रदेश सरकार की जो भी सेवायें ऑनलाईन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुये आम जनमानस को सीधे इंटरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. आम जनमानस द्वारा जन सेवा केन्द्रों एवं ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्ज के अंश विभाजन की व्यवस्था आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-19/2020/1085-78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2020 अनुसार रहेगी।

5. सेवा प्रदाता विभाग आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा दी गयी गाईडलाइन्स के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेंगे।

6. सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को आम जनमानस द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल <https://edistrict.up.gov.in> पर आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.1 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कोर सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1278-78-2-2014-53 आई0टी0/2008 टीसी दिनांक 25-11-2014 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2- 2020-आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2020 के अनुसार होगी।

6.2 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.2.1 सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु <https://edistrict.up.gov.in> पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से निर्धारित व्यवस्थानुसार अपना पंजीयन करेंगे।

6.2.2 पंजीकरण के उपरान्त आवेदक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन फार्म भरा जायेगा, जिसके उपरान्त ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान किया जाना होगा।

6.2.3 आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान के उपरान्त सेवा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा विकसित पोर्टल, जो कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, पर भरी जायेगी।

6.2.4 सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गयी जानकारियां आवेदक द्वारा पुनः नहीं भरायी जायें।

6.2.5 तदोपरान्त आवेदक द्वारा विभागीय ई-फार्म पर इंट्री की जायेगी।

6.2.6 आवेदक ई-फार्म में एण्ट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि मांगे गये समस्त अभिलेख उसके पास हो।

6.2.7 तत्पश्चात आवेदक आवश्यक अभिलेख को पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता जांचने के उपरान्त, आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट करेंगे।

6.2.8 ऑनलाइन ई-फार्म पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा विभागीय प्रक्रिया अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.9 तत्पश्चात यदि विभाग द्वारा सेवा शुल्क निर्धारित है, तो उस दशा में आवेदक को विभागीय पेमेंट गेट-वे का उपयोग करते हुये अतिरिक्त निर्धारित शुल्क देना होगा।

6.2.10 पोर्टल द्वारा आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.11 तदोपरान्त आवेदन सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर अग्रसारित कर दिया जायेगा।

6.2.12 सेवा सम्बन्धी विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड सेवाओं हेतु आमजनमानस का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जायेगा।

6.2.13 तत्पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये आवेदन का निस्तारण किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को इंटीग्रेट मोड में ए.पी.आई. द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक माह में अधिकतम 10 बार आवेदन करने की व्यवस्था है। उक्त के क्रम में नवीन व्यवस्था में एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 10 बार ही आवेदन किया जा सकेगा।

8. विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक सेवाओं हेतु निर्धारित की गई समयावधि में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के दायरे में लाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही नागरिकों को सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र

Date: 14-10-2022 17:09:28

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव

संख्या-1313(1)/78-2-2014 तददिनांक


उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव /सचिव, समस्त विभाग (उपरोक्त विभागों को छोड़कर) को इस आशय के साथ प्रेषित की भविष्य में विभाग की सेवाओं ऑनलाईन

करते हुये उक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करायी जायें।

2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, गोमती नगर, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आई.ओ.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव